सं0–951/XXIII/04/2

देहरादून, दिनांक: 25 जून, 2004

अधिसूचना

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं रूपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 28 के साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (यथा उत्तरांचल में लागू) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, विकृत स्पिरिट का आयात, निर्यात, परिवहन तथा उसे कब्जे में रखने के नियम सम्बन्धी शासकीय अधिसूचना सं0 64/आब./21/2003–04, दिनांक 15 जनवरी, 2004 द्वारा किये गये प्राविधानों में एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से आंशिक संशोधन करते हुए विनिर्माण में प्रयोगार्थ आयातित विकृत स्पिरिट या विशेषतः विकृत स्पिरिट की मात्रा पर रु. 1.10 प्रति बल्क (आयतन) लीटर की परमिट फीस को समाप्त करते हुए उत्तरांचल स्थित औद्योगिक रासायनिक इकाईयों द्वारा विशेषतः विकृत स्पिरिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्पिरिट (डी0एस0) बिना किसी परमिट फीस के आयात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस प्रकार विशेषतः विकृत स्पिरिट (एस0डी0एस0)/विकृत स्पिरिट (डी0एस0) का उत्तरांचल में आयात किये जाने सम्बन्धी शासकीय अधिसूचना सं0 64/आब./21/2003–04, दिनांक 15 जनवरी, 2004 उक्त सीमा तक ही संशोधित समझी जायेगी।

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
सचिव।

सं0–951/XXIII/04/21/2004 तद्दिनांक

उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल।
2. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं, उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

आवेदन–पत्र निरीक्षक के स्पष्ट हस्ताक्षर

आपत्तियों के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण